

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या - ...11.../2020

राजेश मुण्डा बनाम् राज्य एवं लटु करमाली


आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क्री गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

28/11/2020

अपीलार्थी राजेश मुण्डा पिता स्व० जयदेव पाहन, साकिन ब्यांग, पो०- बरियातु, थाना- रजरप्पा, जिला-रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 215(5) के तहत भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा परमिशन वाद सं०- 102/2018-2019 राजेश मुण्डा बनाम् लटु करमाली में दिनांक 14.01.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दू पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक ...11.12.2020 को रखें।


उपायुक्त,
रामगढ़।

11/12/2020

पी० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 16/12/2020 को रखें।

16/12/20

अपीलार्थी -

Heard on admission. Appellant himself has got permission from DCLR court. Has come on appeal to withdraw permission. GP - no such permission. IP is at liberty to not sell. Not fit for admission. Rejected.